

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों (प्रभारी अधिकारी, प्रोजेक्ट्स) को सूचित किया जाता है कि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में आयोजित की जाने वाली विभिन्न राजकीय बैठकों में उपस्थित होने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों हेतु अल्पाहार यथा चाय/कॉफी इत्यादि की व्यवस्था किए जाने पर इसके संबंध में लेखा शाखा में प्रस्तुत किए जाने वाले भुगतान बिलों को संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) करने के साथ-साथ उक्त बैठक के संबंध में जारी किए गए बैठक नोटिस (Meeting Notice) की एक प्रति उपस्थिति विवरण (Attendance Sheet) के साथ संलग्न करें ताकि लेखा शाखा को उक्त बिलों के भुगतान में किसी प्रकार के व्यवधान/कठिनाई का सामना ना करना पड़े।


ए.सी.पी. (उप निदेशक)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

समस्त अधिकारीगण (प्रभारी अधिकारी, प्रोजेक्ट्स),
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
जयपुर

अशा.टीप कमांक: प.2(795)सूप्रौ/संस्था/10/ 2647
जयपुर, दिनांक : 18-05-12

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. ✓ ए.सी.पी. (उप निदेशक) एवं प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर


ए सी पी (उप निदेशक)